प्रैस रिलीज

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
20 दिसंबर,2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट - वायु सेना एवं नौसेना का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 20 (वायु सेना एवं नौसेना) का प्रतिवेदन आज संसद में प्रस्तुत किया गया।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारतीय वायु सेना (आईएएफ), भारतीय नौसेना (आईएन) के वित्तीय लेन-देन और रक्षा मंत्रालय (एमओडी), रक्षा लेखा विभाग (डीएडी), सैन्य अभियंता सेवाऐं (एमईएस) जो मुख्य रूप से आईएएफ व आईएन को समर्पित हैं से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में उजागर मामलों से संबंधित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ₹39.82 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। प्रतिवेदन में शामिल किए गए मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई हैं:

भारतीय वायु सेना में कार्य प्रबंधन

कार्य सेवाओं के निष्पादन के लिए, आईएएफ ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹8,922 करोड़ खर्च किए। अत: लेखापरीक्षा में आकलन किया गया कि क्या कार्य सेवाओं की योजना और कार्यान्वयन समयबद्ध रूप से गुणवत्ता को प्राप्त करने में समर्थ थे और क्या कार्य सेवाओं में निविदा की प्रक्रिया गुणवत्ता सुनिश्चित करने, अनुकूलतम मूल्य लगाने एवं न्यायपूर्णता में सक्षम हैं या नहीं।

जाँच परिणाम के मुख्य आकर्षक बिंदु जो प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं निम्नवत हैं -

- सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्य योजना में प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वार्षिक प्रमुख कार्य योजनाओं (एएमडब्ल्यूपी) के अनुमोदन में काफी देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृति, निविदा और कार्यान्वयन के कार्यों की श्रृंखला में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

- विनियमों के अनुसार सक्षम इंजीनियर अधिकारी के द्वारा की गई तकनीकी संस्वीकृति, कार्य क्षेत्र के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन के साथ सुसंगत होनी चाहिए। तथापि, प्रशासनिक अनुमोदन के अनुमान में दी गई विशिष्टियों से इंजीनियर अधिकारी हट सकता है यदि विचलन, बिना संस्वीकृत कार्य क्षेत्र बदले, इंजीनियरिंग कारणों से आवश्यक हो। प्रशासनिक अनुमोदन से परे कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के कई उदाहरण थे।

  उदाहरण के तौर पर एक वायुसेना स्टेशन ने रक्षा कार्यों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ नए अतिरिक्त कार्यों का अनुमान लगाया जिन्हे मूल रूप से तकनीकि संस्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। ये अतिरिक्त नए कार्य एमईएस प्राधिकारियों द्वारा विचलन आदेशों के माध्यम से ₹11.82 करोड़ (अनुबंधित राशि को 18 प्रतिशत) के लिए निष्पादित किए गए थे। इन अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन

का मुख्य कारण प्रशासनिक अनुमोदन की अनुबंधित मूल्य की राशि के बीच के अंतर को छुपाना था।

- केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिसंबर 2002 में पूर्व कार्य योजना क्षेत्र में अनुबंधकर्ताओं के चयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जिनका एमईएस द्वारा अनुसरण किया जाता है। लेखापरीक्षा ने इन दिशानिर्देशों में बहुत से विचलन देखे।

  वायुसेना स्टेशन पर एक रनवे के पुनरूत्थान के मामले में, "इसी तरह के कार्य" के लिए पिछले अनुभव के लिए पीक्यूसी को 'फुटपाथ और डामर कंक्रीट कार्य' के रूप में परिभाषित किया गया था जो सड़क निर्माण से संबंधित था और 'रनवे एवं फुटपाथ' की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था, तथा इस विशिष्ट श्रेणी के कार्य के तहत ठेकेदारों को एमईएस द्वारा रनवे के कार्य के लिए पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले अनुभव मानदंड़ काफी कमजोर थे और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे।

- निविदा प्रक्रिया से समझौता करके अयोग्य अनुबंधकर्ताओं को अनुबंध प्रदान किए गए, जिसके परिणामस्वरूप निम्न कोटि के कार्य के साथ ही साथ असमय कार्यों को रोका गया। एक मामलें में जो कि रनवे कार्यों से संबंधित है, एक अयोग्य अनुबंधकर्ता को कार्य सौपने के कारण रनवे में असमय ही कमियां आ गयी, जिसके फलस्वरूप उसी कार्य के लिए कार्य की पुन:संस्वीकृति और दूसरे अनुबंधकर्ता द्वारा निष्पादन की आवश्यकता हुई। इस प्रकार, वायुसेना स्टेशन पर नए रनवे के पुनरूत्थान को 10-12 वर्षों की निर्धारित अवधि के बजाय छ: वर्षों की अवधि के भीतर ₹37.40 करोड़ की लागत से निष्पादित किया गया था।

- प्रशासनिक अनुमोदन हेतु अभियांत्रिकी प्राधिकारियों को, जैसाकि बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया हो, प्रयोगकर्ता के आवश्यकतानुसार कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने की आवश्यकता है। इन अनुमानों की जाँच उच्च अभियांत्रिकी प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

एक मामले में, प्रयोगकर्ता द्वारा नई विशिष्टियों वाले हैंगर की माँग के बावजूद, अभियांत्रिकी प्राधिकारियों द्वारा पुरानी विशिष्टियों वाले हैंगर के कार्य के लिए अनुमान तैयार किए गए और कार्य की संस्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई। गलतियाँ बाद में ठीक की गईं और संस्वीकृति का संशोधन हुआ, हालांकि, इसके परिणामस्वरूप कार्य के प्रारंभ होने में छः वर्षों से अधिक की देरी हुई।

एक अन्य मामले में, बोर्ड अधिकारियों की सिफारिशों के बावजूद अभियांत्रिकी प्राधिकारियों ने अनुप्रस्थ दीवारों के महत्वपूर्ण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत ₹10 करोड़ से अधिक थी, को शामिल नहीं किया और कार्य मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत हो गया। इस गलती का पता अभियांत्रिकी प्राधिकारियों द्वारा निविदाकरण स्तर पर चला ओर संस्वीकृति को संशोधित किया गया। इसका असर परियोजना पर पड़ा क्योंकि इस बीच भंडारण के निर्माण के लिए अपेक्षित स्थान पर स्पष्ट साइट अनुपलब्ध हो गए और कुल भंडारण की आवश्यकता दो विभिन्न स्थानों में विभक्त करनी पड़ी। अभियांत्रिकी प्राधिकारियों की इन गलतियों के परिणामस्वरूप निधि का नुकसान हुआ साथ ही आयुध भंडारण के उद्देश्य की असफलता के अलावा सात वर्षों से अधिक समय का उल्लंघन हुआ।

- रक्षा कार्य प्रक्रिया में संस्वीकृति (गो-अहेड) के लिए आपातकालीन प्रावधान और अत्यावश्यक कार्यों के निष्पादन की भी व्यवस्था है। एक वायुसेना स्टेशन पर, 'मरम्मत और उन्नयन के लिए एक फैलाव क्षेत्र' को आपातकालीन प्रावधानों के तहत संस्वीकृत किया गया था जो पूरा होने की परिकल्पित संभावित तिथि की तुलना में पाँच वर्षों की असामान्य देरी के साथ पूर्ण किया गया, इस प्रकार सामान्य कार्य प्रक्रिया के लघुपथन के लिए इन प्रावधानों के तहत छूट के मूल उद्देश्य को विफल किया गया।

- तीन मामलों में, जहाँ अनुबंधित राशि प्रशासनिक अनुमोदन की अपेक्षा 15% से अधिक कम थी, वहाँ पर दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित कटौती विवरण तैयार नहीं किया गया। दो मामलों में, इसके बजाय कार्य के निष्पादन के दौरान कार्य का दायरा बढ़ा दिया

गया ताकि परियोजना से अर्जित बचत का उपयोग किया जा सके, जो कि अनियमित है।

- एक वायुसेना स्टेशन के द्वारा भवनों के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु परिचालनात्मक आवश्यकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिन्हें बाद में भारत सरकार की संस्वीकृति के बिना गैर सरकारी एजेंसियों को दिया गया।

भारतीय नौसेना

- 26/11 (यथा- 26 नवम्बर 2008) के आतंकी हमले के बाद तटीय एवं अपतटीय नौसैन्य संपत्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु तीन वर्षों की अवधि के भीतर एक समुद्री बल (यथा-एसपीबी) के स्थापन के लिए सीसीएस की संस्वीकृति (फरवरी 2009) की तात्कालिकता, समर्थकारी ढाँचे (तीव्र अवरोधनयन (एफआईसी), श्रमशक्ति व अवसंरचना) के सृजन में विलम्ब के कारण शिथिल पड़ गई थी। एफआईसीज़ को 13 से 61 माह के विलम्ब से एसपीबी में शामिल किया गया, सीसीएस की संस्वीकृति में (फरवरी 2009) परिकल्पित कुछ नौसैन्य बंदरगाहों एफआईसीज़/एसपीबी के स्थापन के लिए आधारभूत संरचना अभी भी (जून 2021) उपलब्ध नहीं थी तथा अधिकारियों के स्तर पर श्रमशक्ति की तैनाती कम थी। प्राधिकृत बंदरगाहों पर उनके अधिष्ठापन होने के बाद से एफआईसीज़ की प्रचालनात्मक उपलब्धता सं$_2$ से सं$_3$ प्रतिशत के बीच थी। नामित बंदरगाहों पर उनके शामिल होने के बाद से परिचालन उपलब्धता और एफआईसीज का दोहन उप-इष्टतम था।
- विद्यमान नौसेना अनुदेशों के अनुसार, निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में बूस्ट गैस टर्बाईन (बीजीटी) की अधिप्राप्ति की गई। बीजीटी की अधिप्राप्ति हेतु आदेश देते समय पोतों की सन्निकट सेवा मुक्ति तथा भण्डार अवस्था को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹213.96 करोड़ मूल्य के, नव-अधिप्राप्त बीजीटी को अतिरेक रूप में भंडार में रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बीजीटी की वारंटी भी अक्टूबर 2019 में समाप्त हो चुकी थी।
- मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन (260 सप्ताह) एवं संविदा सम्पन्न (95 सप्ताह) करने में लिए गये समय के कारण नौसेना हेलीकॉप्टर की मरम्मत व ऑवरहाल में अत्यधिक देरी हुई थी। इसके फलस्वरूप हेलीकॉप्टर 10 वर्षों तक खड़ा रहा।

- मुख्य अभियंता (नौसेना), मुम्बई ने रक्षा भूसंपत्ति के इर्द-गिर्द जो कि अतिक्रमण से मुक्त नहीं थी, कन्सर्टिना कुण्डली वाली सुरक्षा प्राचीर के निर्माणार्थ एक संविदा की।

परिणामस्वरूप, यह संविदा जून 2017 में ₹2.19 करोड़ का व्यय होने के पश्चात रद्द की गई।

- एक विवाहित आवास परियोजना (एमएपी), के लिए नौसेना ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कॉपरेटिव लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) को फरवरी 2009 और मार्च 2019 के बीच 4500 केवीए की वर्तमान सीएमडी से अधिक ऊर्जा आपूर्ति में 1400 केवीए बिजली आपूर्ति में वृद्धि के लिए, ₹9.72 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, एमएपी 2012 में पूर्ण हुआ, बिजली आपूर्ति कार्य में वृद्धि अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा सैन्य अभियंता सेवाओं (एमईएस) द्वारा दिसंबर 2012 में एमएपी के लिए बिजली आपूर्ति बढाने के लिए ₹2.48 करोड़ की लागत से निर्मित अवसंरचना तब से ही अप्रयुक्त रही है (दिसम्बर 2021)। इसके अलावा, नौसेना स्टेशन पर बिजली आपूर्ति, की अधिकतम मांग वर्तमान सीएमडी (4500 केवीए) के अन्दर ही रही (अक्टूबर 2021) ।

- समानांतर दर अनुबंध के तय होने को सुसाध्य करने वाले आरएफपी के उपनियमों का आह्वान करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य के 60 प्रतिशत हेतु दर अनुबंध तय हुई। फलस्वरूप ₹2.01 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर नौसैनिक जहाज की जलमग्न संरचनात्मक मरम्मत के लिए एक पृथक कार्य आदेश बनाने की आवश्यकता पड़ी।
- निर्धारित निःशुल्क समयसीमा के अन्दर हवाई खेप के निपटान में नौसेना प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब हुआ जिसके के कारण ₹7.25 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।